छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी मर्यादित

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)

(छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कंपनी)

क्रमांक 01-04/पीडी-तीन/1119(3)/291 /रायपुर, दिनांक 21 JAN 2010

परिपत्र

विषयः— शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिये सीधी भर्ती में आरक्षण तथा मानसिक अथवा शारीरिक निःशक्तता के कारण सरकारी सेवा में स्थायी रूप से अक्षम हो जाने वाले सरकारी कर्मचारियों को असमर्थ न घोषित करने के संबंध में।

छ0ग0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 16—2/04/01/03 दिनांक 01.10.05 के प्रावधानों के अनुसार सभी विद्युत कंपनियों में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिये 32 पदों (सूची संलग्न) की सीधी भर्ती में आरक्षण तथा मानसिक अथवा शारीरिक निःशक्तता के कारण कंपनी की सेवा में स्थायी रूप से अक्षम हो जाने वाले कर्मचारी को असमर्थ न घोषित करने के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान किये जाते है :—

(i) (क) सभी कंपनियों के सीधी भर्ती के पदों मे से चिन्हित 39 पदों (सूची संलग्न) पर विकलांग उम्मीदवारों को भर्ती हेतु निर्धारित आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदान की जावे तथा 6 प्रतिशत आरक्षण दिया जावें। 6 प्रतिशत आरक्षण में से 2 प्रतिशत पद नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए, 2 प्रतिशत पद बधिर व्यक्तियों के लिए तथा 2 प्रतिशत पद अन्य स्वरूप की विकलांगता के निःशक्तजनों के लिए किया जाये। निःशक्तजनों के लिए किया गया ऐसा आरक्षण समस्तर (Horizental) और प्रभागवार (Compartment Wise) रहेगा।

(ख) किसी भर्ती वर्ष में विशिष्ट निःशक्तता श्रेणी के पर्याप्त उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर या किसी अन्य पर्याप्त कारण से जो पद रिक्त रह जाते हैं उन्हें आगामी वर्ष के लिए अग्रणीत किया जायेगा। यदि अगले भर्ती वर्ष में भी विशिष्ट निःशक्तता श्रेणी का उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होता है तो पहले तीनों प्रकार की निःशक्त श्रेणियों में परस्पर अदला—बदली कर अग्रणित पदों की पूर्ति की जाय। तीनों श्रेणियों की निःशक्तता का उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में ही विकलांगों के लिये ऐसे आरक्षित रिक्त पद की पूर्ति संबंधित वर्टिकल रूप से आरक्षित/अनारक्षित प्रवर्ग के ऐसे उम्मीदवार से की जाय जो निःशक्त न हो।

(ii)(क) कोई भी कार्यालय किसी ऐसे कर्मचारी की सेवाएँ समाप्त नहीं करेगा या उसके रेंक को कम नहीं करेगा जो सेवा के दौरान निःशक्त हो जाता है और इस प्रकार निःशक्त हो जाने वाला कर्मचारी यदि अपने धारित पद के लिए उपयुक्त नहीं है तो उसे समान वेतनमान और सेवा प्रसुविधाओं वाले किसी अन्य पद पर स्थानांतरित किया जा सकता है। यदि ऐसे कर्मचारी को किसी भी पद पर समायोजित किया जाना संभव नहीं है तो उसे उपयुक्त पद उपलब्ध होने तक अथवा अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने तक, इसमें से जो भी पहले हो अधिसंख्य (सुपरन्यूमेरी) पद पर रखा जाए।

(ख) किसी भी शासकीय सेवक को सेवा के दौरान निःशक्तता के आधार पर पदोन्नति से वंचित नहीं किया जाएगा। परंतु किसी स्थापना में किए जा रहे कार्य के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त समुचित अनुवर्ती अधिसूचना द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ऐसी शर्तों यदि कोई है तो उसके अध्यधीन किसी कार्यालय को इस प्रावधान से छूट अध्यक्ष द्वारा प्रदान की जा सकती है।

(iii) उपरोक्त प्रावधानों के लागू होने के दिनांक से अनुकंपा नियुक्ति के परिपत्र क्रमांक संस(का)/पीडी–तीन/1680 दिनांक 01.03.02 की कंडिका "ब" का निम्न प्रावधान को निरस्त किया जाता है :–

"मंडल का कार्य करते हुए दुर्घटना के फलस्वरूप अक्षम हुए ऐसे कर्मचारी/अधिकारी जो इस दुर्घटना के कारण हुई अक्षमता के आधार पर मंडल की सेवा से पृथक कर दिये जाते हैं, के परिवार के आश्रित एक सदस्य को मंडल में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति दी जावेगी"

उपरोक्त प्रावधान परिपत्र जारी होने के दिनांक से लागू होंगे।

संलग्नः– सूची।

कंपनी के आदेशानुसार

कार्यपालक निदेशक (मा0सं0)
छ0रा0वि0हो0कं0मर्या0 रायपुर

क्रमांक 01–04/पीडी–तीन/115(3)/292 **/रायपुर, दिनांक** 21 JAN 2010

प्रतिलिपि :–

1. कार्यपालक निदेशक ( ), छ0रा0 विद्युत .... कंपनी मर्यादित, रायपुर।
2. मुख्य अभियंता ( ) छ0रा0 विद्युत .... कंपनी मर्यादित, ...
3. मुख्य सतर्कता अधिकारी, छ0रा0 विद्युत .... कंपनी मर्यादित, ...
4. अति0 मुख्य अभियंता ( ), छ0रा0 विद्युत .... कंपनी मर्यादित ....
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, छ0रा0 विद्युत होल्डिंग कंपनी मर्यादित, रायपुर।
6. उप महाप्रबंधक (मा0सं0)–एक/दो/सचि0, छ0रा0 विद्युत होल्डिंग कंपनी मर्यादित, रायपुर।
7. औद्योगिक संबंध अधिकारी/वरि0 जनसंपर्क अधिकारी/मुख्य विधि अधिकारी, छ0रा0 विद्युत होल्डिंग कंपनी मर्यादित, रायपुर।
8. अधीक्षण अभियंता (..........................) छ0रा0 विद्युत .... कंपनी मर्यादित, ...
9. प्रबधक (मा0सं0)–एक/दो/चार/पॉच/सात, छ0रा0 विद्युत .... कंपनी मर्यादित ....
10. कार्यपालन यंत्री (........................) छ0रा0 विद्युत .... कंपनी मर्यादित, ...
11. स्टाफ आफिसर, संबद्ध प्रबंध निदेशक (होल्डिंग/वितरण/उत्पादन/पारेषण/ट्रेडिंग), छ0रा0 विद्युत होल्डिंग/वितरण/उत्पादन/पारेषण/ट्रेडिंग कंपनी मर्यादित, रायपुर।
12. वरिष्ठ/क्षेत्रीय लेखा अधिकारी, छ0रा0 विद्युत होल्डिंग कंपनी मर्यादित, ...
13. ग्रंथालय/गोपनीय अधिकारी, छ0रा0 विद्युत होल्डिंग कंपनी मर्यादित, रायपुर।
14. एनर्जी इन्फोटेक सेन्टर, कंपनी की वेबसाइट में अपलोड हेतु प्रेषित।

– को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अतिरिक्त महाप्रबंधक (मा0सं0)
छ0रा0वि0हो0कं0मर्या0 रायपुर

LIST OF IDENTIFIED CADERS FOR RECRUITMENT OF DISABLED PERSONS

Sl.No.	Designation	Deafness	Blindness	Other Disabilities
1	AE (T&D)	PD		OL, OA
2	AE (Gen.) (Elect./Mech.)	PD		OL, OA
3	AE (Civil)	PD		OA, OL
4	Accouts Officer			BL, OA, OL, BH
5	Administrative officer			OL, BLA, OA
6	Welfare Officer			OL, OA
7	Law Officer			OL, OA
8	Programmer	PD		OL, BL
9	Publicity Officer			OA, OL
10	Librarian			OL, OA
11	Statistical Asstt.			OL, OA
12	Shift Chemist	PD		OL
13	Horticulturist	PD		OA
14	JE (Gen) (Elect./Mech.)	PD		OL, OA
15	JE (Civil)	PD		OA, OL
16	Sanitary Inspector	PD	LV	OA, OL
17	Steward	PD	LV	OA
18	Welfare Asstt.			OL, OA, BL
19	Law Asstt.			OL, BL, OA
20	Asstt. Statistician			OL, BL, OA
21	Publicity Asstt.			OL
22	Jr. Steno			OL
23	O.A. Gr.-III / T.R. / W.C.	PD		OL
24	Drawing Office Asstt.Gr.-I (Elect./Mech.)			OL
25	Lab Technician	PD		OL
26	Radiographer	PD		OL
27	Pharmacist / Compounder	PD		
28	Meter Reader	PD		
29	Bill Distributor	PD	LV, PB	OA
30	Civil Attdt. Gr.-II (Plumber)	PD	LV	
31	Civil Attdt. Gr.-II (Carpenter)	PD		
32	Fireman		PB or LV	OL, OA, BL
33	Peon	PD	LV	OL, OA
34	Dresser	PD	LV	
35	Ward Ayah / Attdt.	PD	LV	OL
36	Ward Boy / Women	PD	LV	OL
37	Khansama	PD		OL
38	Cook	D, PD		OL
39	Motor Driver	PD		

Abrivations

BL - both leg affected but not arms

BA - both arms affected
a) impaired reach
b) weakness of grip

BLA - both legs and arms affected

OL - one leg affected (R & L)
a) impaired reach
b) weakness of grip
c) at axic

OA - one arm affected (R& L)
a) impaired reach
b) weakness of grip
c) at axic

BH - stiff back and hips (cannot sit or stood)

MW - muscular weakness and limited physical endurance

B - the blind

PB - partially blind

LV - low vision

D - the deaf

PD - partially deaf

Addl. General Manager (HR)
CSPHCL : Raipur

Identification-Disabled-SHEET2